

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोंडेंट :-



श्री किशोर कुमार पुत्र ताराराम घांची
निवासी 74, टिम्बर मार्केट, समुरपेर, जिला
पाली

लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी)
पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 74 /2019

R.C.M.S. No. --2019/00161

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
8/7/19	<p>अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेंट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 24/7/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  जिला कलेक्टर, पाली </p> <p>अपीलांत द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (J.S.O) पाली ने चांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये और वे उन्को सूचना उपलब्ध कराते हेतु निवेदन किया जाये।</p> <p>इस न्यायालय के जरिए पत्रांक 932-33 डिके 10-7-19 के द्वारा लिखा जाते था कार्यालय लोक सूचना अधिकारी से इस न्यायालय को कक्षा कराया कि उक्त अपील के संलग्न में चापेदकर्ता द्वारा उक्त सूचना नही चाहे ख्यात पर प्रभुत किया गया है। जिसके कक्षा चांछित सूचना अपीलाण्टी को आवश्यकता नही होने के कारण कार्यालय लिखत करके का निवेदन किया जिसकी प्रति भी प्रेषण पर के संलग्न जरिए पत्रांक 244 डि 17-7-19 के लिखत है। इसी स्थिति में इस अपील के संदर्भ में किसी प्रकार की कार्यवाही चांछित नही रहवाली निहाय अपील अपीलांत चांछित सूचना की आवश्यकता नही होने जाहित करके से इसी त्वा देण की जाती है पत्रावली कक्षा फिलान की जाकर नखा से कराये।</p> <p style="text-align: center;">  जिला कलेक्टर, पाली </p>	<p style="text-align: right;"> 932-33 10-7-19 </p>